

प्रेस नोट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 21.07.2024

दहेज हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष पीपीगंज के नेतृत्व में उ0नि0(प्रशि0) सौरभ कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 288/2024 धारा 80,85 भा0न्या0सं0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पिन्टू गौड़ पुत्र स्व0 सुरेश गौड़ निवासी ग्राम राजाबारी थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.07.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि उनकी बहन को उसके पति पिन्टू गौड़ द्वारा दहेज के लिए जला दिया गया है, जिसकी ईलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मृत्यू हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अभियुक्त पिन्टू गौड़ पुत्र स्व0 सुरेश गौड़ निवासी ग्राम राजाबारी थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 288/2024 धारा 80,85 भा0न्या0सं0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार सिंह थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 (प्रशि0) सौरभ कुमार यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
3. का0 केशव बिन्द थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
4. का0 आकाश यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
5. का0 मोहित कुमार थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर